RNI No. MAHBIL /2009/31730

सत्यमेव जयते

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

असाधारण भाग सात

वर्ष १२, अंक २(३)] मंगळवार, फेब्रुवारी २४, २०२६/फाल्गुन ५, शके १९४७ [पृष्ठे ३, किंमत : रुपये ४७.००

असाधारण क्रमांक ५

प्राधिकृत प्रकाशन

अध्यादेश, विधेयके व अधिनियम यांचा हिंदी अनुवाद (देवनागरी लिपी).

महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय

महाराष्ट्र विधानसभा में दिनांक **२४ फरवरी, २०२६** ई. को. पुरःस्थापित निम्न विधेयक महाराष्ट्र विधानसभा नियम ११७ के अधीन प्रकाशित किया जाता है :-

L. A. BILL No. II OF 2026.

A BILL

further to amend the Maharashtra Zilla Parishads and Panchayat Samitis Act, 1961.

विधानसभा का विधेयक क्रमांक २ सन् २०२६।

महाराष्ट्र जिला परिषद तथा पंचायत समिति अधिनियम, १९६१ में अधिकतर संशोधन करने संबंधि विधेयक।

क्योंकि राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा था ;

और क्योंकि महाराष्ट्र के राज्यपाल का यह समाधान हो चुका था कि, ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान थीं, जिनके कारण उन्हें, इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिए, महाराष्ट्र जिला परिषद और पंचायत समिति अधिनियम, १९६१ में अधिकतर संशोधन करने के लिए सद्य कार्यवाही करना आवश्यक हुआ था ; और

१९६२ का महा. ५।

सन् २०२५ का महा. अध्या. १४।

इसलिए, महाराष्ट्र जिला परिषद और पंचायत समिति (संशोधन) अध्यादेश, २०२५,२६ दिसम्बर २०२५ को प्रख्यापित हुआ था ;

और क्योंकि, उक्त अध्यादेश को राज्य विधानमंडल के अधिनियम में बदलना इष्टकर है ; अतः भारत गणराज्य के सतहत्तरवे वर्ष में, एतद्द्वारा, निम्न अधिनियम अधिनियमित किया जाता है :—

संक्षिप्त नाम, और प्रारम्भण।

१. (१) यह अधिनियम महाराष्ट्र जिला परिषद और पंचायत समिति (संशोधन) अधिनियम, २०२६ कहलाए।

(२) यह २६ दिसम्बर २०२५ को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

१९६२ का महा. ५ की धारा १४ में संशोधन।

२. महाराष्ट्र जिला परिषद और पंचायत समिति अधिनियम, १९६१ (जिसे इसमें आगे, "मूल अधिनियम" कहा गया है) की धारा १४ की, उप-धारा (२) के स्थान में निम्न उप-धारा रखी जायेगी, अर्थात :— १९६२ का महा. ५।

"(२) राज्य सरकार ऐसे निर्वाचनों का आयोजन करने के लिए नियम बनाएगी और उस नियमों के अनुसरण में निर्वाचन करेगी।

(३) नामनिर्देशन प्रपत्र स्वीकृत या अस्वीकृत करने का अंतिम निर्णय निर्वाचन अधिकारी का होगा और उसे किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा।"।

सन् २०२५ का महा. अध्या. क्र. १४ का निरसन और व्यावृत्ति।

३. (१) महाराष्ट्र जिला परिषद और पंचायत समिति (संशोधन) अध्यादेश, २०२५, एतद्द्वारा, निरसित किया जाता है। सन् २०२५ का महा. अध्या. क्र. १४।

(२) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन कृत कोई बात या की गई कोई कार्यवाही (जारी किसी अधिसूचना, नियमों या आदेश समेत) इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधिन मूल अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन कृत, की गई, या यथास्थिति, जारी की गई समझी जायेगी।

उद्देश्यों और कारणों का वक्तव्य।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद २४३ट और महाराष्ट्र जिला परिषद और पंचायत समिति अधिनियम, १९६१ (सन् १९६२ का महा. ५) की धारा ९क यह उपबंध करती है कि, जिला परिषद और पंचायत समितियों के सभी निर्वाचन करने के लिए निर्वाचक नामावली तैयार करने और जिला परिषद तथा पंचायत समितियों के निर्वाचन लेने के लिए अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण राज्य निर्वाचन आयोग में निहित होगा ।

२. उक्त अधिनियम की धारा १४ (२) यह उपबंध करती है कि, राज्य सरकार, नामनिर्देशन प्रपत्र की स्वीकृति या अस्वीकृत करने के निर्वाचन अधिकारी के विनिर्णय के विरुद्ध जिला न्यायालय में अपील करने समेत ऐसे निर्वाचनों का आयोजन करने के लिए नियम बनाएगी । तद्नुसार, महाराष्ट्र जिला परिषदों (निर्वाचक क्षेत्र और निर्वाचन का आयोजन) नियम, १९६२ का नियम २० और महाराष्ट्र पंचायत समिति (निर्वाचक गण और निर्वाचन का आयोजन) नियम, १९६२ का नियम १९क में, नामनिर्देशन प्रपत्र की स्वीकृति या अस्वीकृति के निर्वाचन अधिकारी के विनिर्णय के विरुद्ध जिला न्यायालय के समक्ष अपील दाखिल करने के बारे में और जिला न्यायालय ने, ऐसे अपीलों की सुनवाई दिन प्रतिदिन करने के आधारपर करनी होगी और यथा संभव शीघ्र उनका निपटारा करने के लिए उपबंध करती है।

३. राज्य निर्वाचन आयोग ने राज्य सरकार को यह संसूचित किया है कि, ऐसे अपील विभिन्न न्यायालयों में अलग-अलग अवधि के लिए शेष प्रलंबित रहे हैं और यह भी निश्चित नहीं किया है कि ऐसे अपीलों का निपटान कब होगा। आयोग ने यह भी संसूचित किया है कि, संविधान के अनुच्छेद २४३ण निर्वाचक मामलों में न्यायालयों द्वारा हस्तक्षेप करने पर रोक लगाने का भी उपबंध करता है। इसलिए, आयोग ने समयबद्धरीत्या निर्वाचनों को पूरा करने की दृष्टि से, ऐसे अपीलों से संबंधित उपबंधों का अपमार्जन करने के लिए उपर्युक्त निर्देशित नियमों में यथोचित संशोधन करने का प्रस्ताव राज्य सरकार को अग्रेषित किया है।

इसलिए, उक्त अधिनियम की धारा १४ में यथोचित संशोधन करना इष्टकर है।

४. चूँकि राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा था और महाराष्ट्र के राज्यपाल का यह समाधान हो चुका था कि, ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान थी जिनके कारण उन्हें उपर्युक्त प्रयोजनों के लिए, महाराष्ट्र जिला परिषद और पंचायत समिति अधिनियम, १९६१ में अधिकतर संशोधन करने के लिए, सद्य कार्यवाही करना आवश्यक हुआ था; अतः महाराष्ट्र के राज्यपाल द्वारा महाराष्ट्र जिला परिषद और पंचायत समिति संशोधन अध्यादेश, २०२५ (सन् २०२५ का महा. अध्या. १४) २६ दिसम्बर २०२५ को प्रख्यापित हुआ था ।

५. प्रस्तुत विधेयक का आशय उक्त अध्यादेश को राज्य विधानमंडळ के अधिनियम में बदलना है ।

मुंबई,
दिनांकित १७ फरवरी, २०२६। **जयकुमार गोरे,**
ग्रामविकास मंत्री ।
(यथार्थ अनुवाद),

श्री. अरुण कमळाबाई वाळू गिते,
प्रभारी भाषा संचालक,
महाराष्ट्र राज्य।

विधान भवन, **जितेंद्र भोळे,**
मुंबई, सचिव-१,
दिनांकित २४ फरवरी, २०२६। महाराष्ट्र विधानसभा।

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.